

न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक

(गौरव अग्रवाल, आई०ए०एस०द्वारा अध्यासित)

पेट्रन संख्या
प्राप्ति दिनांक

43/2019
18-7-2019

सांवलराम पुत्र रामनारायण खंगार निवारी ग्राम कोटडी तहसील उनियारा जिला टोंक राज०

-अपीलान्ट

बनाम

नायब तहसीलदार सोप जिला- टोक

-रेस्पोंडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
विरुद्ध निर्णय नायब तहसीलदार सोप दिनांक 20-6-2019


उपरिस्थिति : (1) श्री दोलतराम चोधरी अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री जुगनू शर्मा, राजकीय अभिभाषक रेस्पोंडेंट

निर्णय

दिनांक 24-3-2021

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सोप ने अपने निर्णय दिनांक 20-6-2019 के द्वारा अपीलान्ट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर खसरा नम्बर 234 रकबा 0.01 है० खसरा नम्बर 249 रकबा 0.01 है० जा-के ग्राम कोटडी पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर भूमि से बेदखल करने 1000/रूपये की पेनल्टी कायम कर 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का आदेश दिया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार सोप के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलवी रेस्पोंडेंट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट को नायब तहसीलदार सोप द्वारा निर्णय से पूर्व नोटिस नहीं दिया है और नोटिस पर अपीलान्ट की विधिवत् व्यक्तिशः तामिल नहीं कराई गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुने बिना एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किये बिना एक पक्षीय निर्णय पारित करने में कानूनी गलती की है। अपीलान्ट की उक्त भूमि पर गत 20 वर्ष से भी अधिक समय से मौके पर दुकानें बनी हुई हैं। अपीलान्ट के दुकानों में बिजली व नल कनेक्शन लगा हुआ है तथा सार्वजनिक रूप से पानी की टंकी बनी हुई है। अपीलान्ट इस भूमि में बनी हुई दुकानों में अपना व्यवसाय करता चला आ रहा है। अपीलान्ट के पास व्यवसाय करने हेतु अन्य कोई दुकानें नहीं हैं। खसरा नम्बर काफी बड़ा है जिस में कई लोगों के मकानात/दुकाने बनी हुई हैं और आवादी बसी हुई है। पटवारी हल्का ने दुर्भावना पूर्वक अपीलान्ट के विरुद्ध कब्जे बाबत गलत रूप से रिपोर्ट की है। अपीलान्ट को पटवारी हल्का से जिरह करने का अवसर  दिया है।

पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर नायब तहसीलदार ने विश्वास करके जो निर्णय पारित किया है वह निरस्त योग्य है। अपीलान्त के अभिभाषक का यह भी कथन है कि नायब तहसीलदार ने अपीलान्त को एक ही निर्णय के द्वारा तीन राजाएँ कमशः वेदखल करने पेन्ल्टी कायम करने व सिविल कारावारा की सजा का निर्णय पारित किया है कानूनन इस प्रकार एक ही निर्णय द्वारा सारी सजायें एक साथ दिये जाने का प्रावधान नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दोषपूर्ण होने से निरस्तनीय है।

अपीलान्त के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलान्त की चरस्पान्दगी से तामिल हुई है। विवादित भूमि पर अपीलान्त दुकानों का पक्का निर्माण कर अतिक्रमण किया है। इस भूमि पर अपीलान्त ने पहले भी अतिक्रमण किया था ओर अब पुनः अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को विवादित भूमि से पूर्व में पत्रावली सं० 558/11 निर्णय दिनांक 1-2-2012 से वेदखल किया गया था एवं पुनः पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना माना गया है। अपीलान्त सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमि पर बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एवं उचित है। अतः अपील अपीलान्त खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्त एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की अपीलान्त पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्त को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। किन्तु तामिल कुनिन्दा द्वारा नोटिस की विधिवत तामिल नहीं करवाई गई है। नोटिस की तामिल चस्पान्दगी से कटवाई गई है तथा नोटिस चस्पा करते समय नियमानुसार दो गवाहों के हस्ताक्षर नहीं कराए गए हैं। अपीलान्त अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। नायब तहसीलदार सोप द्वारा अपीलान्त को विना सुनवाई का अवसर दिये निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 20-6-2019 अपास्त किया जाता है एवं नायब तहसीलदार सोप को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (Remand) किया जाता है कि अपीलान्त को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर समस्त रिकार्ड/कब्जे की जांच कर पुनः विधिवत निर्णय पारित करें। स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 24-3-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गौरव अग्रवाल)
जिला कलेक्टर, टोक